

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था. (रा. न्या. से.) अवकाश / 2058 / 2021 दिनांक 22.09.2021

श्री परवेज अहमद (RJ0662), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण (जैसलमेर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

01. दिनांक 04.08.2021 का एक दिवस का उपाजित अवकाश ।
02. दिनांक 05.08.2021 से 18.08.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री अहमद की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण (जैसलमेर) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था. बी. 2(4) / 30 / 2011 / 5930

दिनांक : 22.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को उनके पत्रांक 1956 दिनांक 26.08.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री परवेज अहमद (RJ0662), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण (जैसलमेर) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण (जैसलमेर) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।

सहायक रजिस्ट्रार